न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/168

नारायण दत्तक पुत्र देवीलाल उर्फ देव्या जाति नायक निवासी गोदल्याहेडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. बनवारी लाल पुत्र धन्ना लाल जाति माली निवासी राजपूत कॉलोनी शिव मंदिर के पास, कन्सुआ कोटा ।
2. रंजन कुमार पुत्र झूलनराम जाति मेघवाल निवासी कन्सुआ कोटा ।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री धीरेन्द्र मालव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 18.11.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 14.05.2022 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम गोदल्या हेडी तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 57 मिन रकबा 05 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 81 मिन की रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 429 मिन की रकबा 04 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 510 मिन रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर

510/31 की रकबा 04 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 511/80 की 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 512/133 की 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 514/412 की 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 515/422 की 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 518/428 की 06 बिस्वा कुल रकबा 24 बीघा 02 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि भूली बाई विधवा श्री देवीलाल नाति नायक की खातेदारी में थी । उक्त भूमि के अलावा भूली बाई के स्वामित्व का एक कवेलूपोश मकान जिसमें दो कमरे एक बरामदा एक तिवारी वाला था । देवीलाल के वारिसों में एक दत्तक पुत्र नारायण वादी तथा दो पुत्रियॉं श्रीमती किशोर बाई व श्रीमती शान्तिबाई व विधवा श्रीमती भूली बाई थी । वर्तमान में दोनों पुत्रियॉं किशोरी बाई व शांन्ति बाई व विधवा भूली बाई का स्वर्गवास हो चुका है तथा किशोरी बाई व शान्ति बाई द्वारा अपना अधिकार प्रतिवादी कम 01 के पक्ष में रिलीज करने तथा राजस्व न्यायालय द्वारा प्रतिवादी कम 01 को किशोरी बाई व शान्ति बाई का अकेला उत्तराधिकारी व वारिस मानने से प्रतिवादी कम 01 को पक्षकार बनाया गया है । प्रतिवादी कम 1 ने प्रतिवादी कम 2 को वादग्रस्त आराजी अवैध रूप से पंजीकृत विकय पत्र से विकय कर देने से प्रतिवादी कम 2 पक्षकार बनाया है । श्रीमती भूली बाई प्रारम्भ से ही वादी के पास रहती थी व वादी के परिवार ने ही भूली बाई की सेवा सुश्रुषा की तथा दोनों पुत्रियॉं शादी के बाद अपने–अपने ससुराल में रहती थी जिसमें श्रीमती भूली बाई ने वादी व वादी के परिवार की सेवाओं से प्रसन्न होकर दिनांक 12.05.1982 को अपनी खातेदारी की भूमि एवं मकान की वसीयत वादी के पक्ष में गवाहों के समक्ष तहरीर करवाकर निष्पादित कर दी । वादी की दत्तक बहिनें श्रीमती किशोरी बाई व शांति बाई ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष माता भूली बाई व भूमिधारी प्रतिवादी कम 3 के विरूद्ध वादपत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित भूली बाई की खातेदारी की भूमि के सम्बन्ध में वादी का देवीलाल जी से सम्बन्ध नहीं होना बताते हुए उक्त भूमि में अपना 1/3 – 1/3 हिस्से की घोषणा व विभाजन का वाद सन् 1983 में प्रस्तुत किया । इस वाद के जवाबदावे में भूली बाई ने वादी को देवीलाल का दत्तक पुत्र बताते हुए तथा विवादित खातेदारी की भूमि अकेली भूलीबाई की मानते हुए वाद निरस्त करने की प्रार्थना की । सहायक कलक्टर एंव कार्यपालक दण्डनायक (मुख्यालय) कोटा ने दिनांक 30.09. 1988 को वादी को देवी लाल जी का दत्तक पुत्र मानकर वादी प्रत्येक को 1/3 – 1/3 हिस्से का सहकृषक मानकर विभाजन की प्रारम्भिक डिकी पारित की । उक्त निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में पेश की जो दिनांक 28. 03.1994 को खारिज कर दी गई । द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की गई जो दिनांक 22.12.1997 को खारिज कर दी गई । उक्त समस्त निर्णयों के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की जो दिनांक 27.10.2007 को निरस्त की गई जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त की गई जिसके विरूद्ध स्पेशन अपील करने पर दिनांक 21.10.2008 को इस निर्देश के साथ निरस्त कर दी गई कि राजस्व न्यायालयों द्वारा भूली बाई की वसीयत के सम्बन्ध में अधिकार निर्णित नहीं किये हैं जिसमें वादी को सक्षम न्यायालय में वसीयत के आधार पर अपने अधिकार निर्णित कराने का अधिकार दिया गया जिसकी पालना में यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है । श्रीमती भूली बाई द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि की वसीयत वादी के पक्ष में दिनांक 12.05.1982 को तहरीर कर पंजीकृत कराने से तथा भूली बाई का स्वर्गवास दिनांक 29.12.1986 को हो जाने से भूली बाई की खातेदारी की भूमि का एक मात्र खातेदार वादी है किन्तु राजस्व न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिकी में भूमि देवीलाल की मानकर उक्त भूमि में भूली बाई, वादी, किशोरी बाई एवं शान्ति बाई चारों का हिस्सा माना । भूली बाई की दौरोने वाद मृत्यु हो जाने से भूली बाई का वसीयत के अनुसार प्लीडिंग व तनकी नहीं होने से भूली बाई

का हिस्सा अवैध रूप से शेष तीनों वारिसों में 1/3 – 1/3 हिस्से का अधिकारी मानकर प्रारम्भिक डिक्री पारित की है, जबकि भूली बाई का वादग्रस्त आराजी में 1/4 हिस्सा माना जावे की अवस्था में वसीयत सम्पूर्ण विवादित भूमि की होने पर भी 1/4 हिस्से की वसीयत मानी जावेगी तथा वादी का 1/4 हिससा स्वीकार किया गया है । इस प्रकार वादी का वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी कम 1 का 1/2 हिस्सा होना चाहिए, प्रारम्भिक डिक्री भूली बाई के 1/4 हिस्से तक अवैध व प्रभावहीन है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एक खातेदार को अपने हिस्से की भूमि की वसीयत करने का अधिकार है तथा भूली बाई ने दिनांक 12.05.1982 को गवाहों के समक्ष वसीयत तहरीर करवाकर उसे पंजीकृत करवा दिया । भूली बाई का 1/4 हिस्सा सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा निर्धारित करने से वादी भूली बाई के 1/4 हिस्से का खातेदार है तथा वादी का 1/4 हिस्सा उत्तराधिकार के आधार पर प्रमाणित है जिसमें वादी सम्पूर्ण भूमि के 1/2 हिस्से का संयुक्त खातेदार है । वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि है धारा 39 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत खातेदार को वसीयत करने का अधिकार है । वसीयत के आधार पर खातेदारी की घोषणा का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में भूली बाई का 1/4 हिस्से का वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा वादी के 1/2 हिस्से के अनुसार आराजी का नियमानुसार विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से में आने वाली भूमि वादी की तन्हा खातेदारी में दर्ज की जावे ।

4. तत्पश्चात् दिनांक 02.03.2022 को उभयपक्षकारान द्वारा लोक अदालत की भावना से लिखित राजीनामा प्रस्तुत उक्त राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 14.05.2022 के द्वारा वाद वादी बरूए राजीनामा डिक्री कर दिया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2022 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजीनामा दस्दीक करने के बाद राजीनामा अनुसार निर्णय किया जाना आवश्यक है । यदि राजीनामा के किसी भाग को स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसका आधार वर्णित करना कानूनी रूप से आवश्यक है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि परीक्षण न्यायालय में उभयपक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित राजीनामा में कथन किया गया था कि वादग्रस्त आराजी में से खसरा नम्बर 66 की भूमि के अलावा शेष समस्त विवादित भूमि वादी के हिस्से व कब्जे में रहेगी जिसे वादी के

खातेदारी में दर्ज किया जावे । राजीनामे के इस भाग को वाद के ऑपरेटिस पोरशन व डिक्री में वर्णित नही कर केवल मात्र खसरा नम्बर 66 के सम्बन्ध में निर्णय के ऑपरेटिव पार्ट व डिक्री में वर्णित किया । इस खसरा नम्बर 66 के अलावा शेष भूमि के सम्बन्ध में निर्णय व डिक्री के ऑपरेटिव पार्ट में क्यों वर्णन नहीं किया गया इसका कोई आधार भी वर्णित नहीं किया तथा इस भाग को निरस्त भी नहीं किया गया । परीक्षण न्यायालय द्वारा राजीनामा तस्दीक करने के बाद राजीनामा अनुसार निर्णय किया जाना आवश्यक है । यदि राजीनामा के किसी भाग को स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसका आधार वर्णित करना कानूनी रूप से आवश्यक है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तस्दीकशुदा राजीनामा अनुसार वाद अपीलान्ट के पक्ष में निर्णय एवं डिक्री पारित की जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा का वाद प्रस्तुत कर वाद वादी स्वीकार करने का कथन किया । पत्रावली का अवलोकन करने पर हमने पाया कि जिस भूमि का विभाजन सहमति से करवाना चाहते हैं उसकी नवीनतम जमाबन्दी परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं है । राजीनामे एवं वाद में वादी को आवश्यक रूप से वांछित राजस्व रिकॉर्ड/दस्तावेज संलग्न करने चाहिए थे । नकल जमाबन्दी संवत् 2067–2070 की फोटो प्रति पत्रावली में संलग्न है जिसके अनुसार नामान्तरकरण संख्या 601 निर्णय दिनांक 22.12.2010 जरिये विरासत मृतका भूली बाई के स्थान पर नारायण पुत्र देवीलाल का नाम दर्ज होने का नोट अंकित है । जमाबन्दी संवत् 2071–2074 में उक्त भूमि नारायण पुत्र देवीलाल कौम नायक के खातेदारी में दर्ज है साथ ही जमाबन्दी में "न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के आदेश दिनांक 02.06.2015 (फर्द अहकाम) एवं तहसील आदेश 03.07.2015 से परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.04.2015 की पालना रिकॉर्ड परीक्षण न्यायालय से प्राप्त होने तक स्थगित रखी जावे एवं आदेश दिनांक 03.06.2015 से स्थगन 26.06.2015 तक बढाया गया" का नोट अंकित है । अतः प्रकरण में चूँकि पूर्व में लम्बे समय से वाद रहे हैं, अतः वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई वाद लंम्बित तो नहीं है, यह स्थिति भी स्पष्ट की जानी चाहिए । परीक्षण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 14.05.2022 के अनुसार उक्त राजीनामा को परीक्षण न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया और राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का आदेश पारित किया । परन्तु निर्णय दिनांक 14.05.2022 व डिक्री दिनांक 14.05.2022 में परीक्षण न्यायालय ने पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा को अंशतः स्वीकार किया है राजीनामा अनुसार पूर्णतः उसे स्वीकार नहीं किया । जो राजीनामा का भाग स्वीकार नहीं किया है उसके सम्बन्ध में कोई स्पष्ट विवेचन अथवा कारण भी निर्णय में अंकित नहीं किया है । वादी अपीलान्ट नारायण द्वारा दिनांक 10.06.2022 को राजीनामा अनुसार संशोधित निर्णय हेतु आवेदन भी दिया गया परन्तु उक्त आवेदन पर भी कोई निर्णय परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित नहीं किया गया । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट ने सद्भाविक रूप से कथन किया है कि यदि न्यायालय किसी पक्षकार के सम्बन्ध में कोई संदेह है तो वे उसे पुनः पेश कर सकते हैं । पक्षकारान आवश्यक वांछित दस्तावेज परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत करे । ऐसी स्थिति में हम प्रस्तुत प्रकरण को परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.05.2022 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे व आवश्यक वांछित दस्तावेजों का अवलोकन/परीक्षण कर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय में दिनांक 30.12.2022 को उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 18.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा